बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
Seed Science & Technology
डायरी सं. / Dy. No. 663
दिनांक / Date 18/12/25


भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
**ICAR-Indian Agricultural Research Institute**
आर. टी. आई. अनुभाग/RTI Section
निदेशालय, नई दिल्ली-12/Directorate, New Delhi-12
Email-imc@iari.res.in, Extn-4206


संख्या. 8-157/2025-आर.टी.आई./277/1 दिनांक: 16 /12/2025

सेवा में,
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एंव अध्यक्ष
बीज विज्ञान एवम प्रौद्योगिकी संभाग,
भा.कृ.अनु.प.- भा.कृ.अनु.सं. नई दिल्ली-110012

**विषयः- आर.टी.आई ऑफलाइन आवेदक दिनांक 16-12-2025, श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह निवासी-खेड़ा किशन पोस्ट बाजौता तहसील-खैर थाना-टप्पल जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-202137 को अनुभाग में प्राप्त हुआ ।**

महोदय,

इस कार्यालय को दिनांक 16-12-2025 को (सही पोस्टल ऑर्डर सहित) आर.टी.आई अनुभाग में श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह निवासी-खेड़ा किशन पोस्ट बाजौता तहसील-खैर थाना-टप्पल जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-202137 से एक आर.टी.आई ऑफलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन का विषय-वस्तु आपके संभाग/इकाई/अनुभाग से निकटता से संबंधित है। अतः यह आर.टी.आई अनुरोध इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है तथा आर.टी.आई अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत आपको स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक को वांछित जानकारी सीधे प्रदान की जा सके और इसकी सूचना आर.टी.आई अनुभाग को भी दी जाए।

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि यह मामला आपके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो कृपया इसे उस लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे विषयवस्तु अधिक निकटता से संबंधित हो तथा इसकी सूचना आवेदक को सीधे दी जाए।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-1/2013-आईआर, दिनांक 21-10-2014 के अनुसार, सभी आर.टी.आई आवेदनों एवं अपीलों के उत्तरों को भा.कृ.अनु.सं. की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है (इसका प्रतिलिपि पहले से ही भा.कृ.अनु.सं. की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। तदनुसार, अनुरोध है कि ऐसे सभी उत्तरों की प्रतिलिपियाँ पीडीएफ (PDF) प्रारूप में "webmaster@iari.res.in" पर प्रेषित करें, ताकि उन्हें उपयुक्त स्थान पर वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की प्रति संलग्न है (पी.ओ.नं. 71एफ 205686)।

सधन्यवाद ,

भवदीया

विनीता 16/12/2025

नोडल अधिकारी
(सूचना का अधिकार)

संलग्नक:यथोपरि।

<u>प्रेषण:</u>

1. श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह निवासी-खेड़ा किशन पोस्ट बाजौता तहसील-खैर थाना-टप्पल जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-202137
2. प्रभारी, ए.के.एम.यू.आई.ए.आर.आई. वेबसाइट पर"RTI Application" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।

डॉ संदीप कु. लाल
ध्यान दिया
17/12/25

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी महोदय,/सी0पी0आई0ओ0
भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान पूसा नई दिल्ली

**विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रार्थना पत्र के तहत सूचना मांगने के संबंध में।**

श्रीमान जी,

कृपया एस0सी0एस0पी0 परियोजना से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें।
सूचना अधिकार के नियमनुसार 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर क्र0 सं0 71F 205656 दिनांक 22.08.25 संलग्न कर रहा हूँ :–

1. श्री अरून कुमार पुत्र श्री गिरधारीलाल जो कि परियोजना में ऑफिस असिस्टेन्ट के पद पर कार्यरत थे और जिनका भुगतान परियोजना से किया गया है। उनका दिनांक 01/01/2024 से 01/12/2024 तक का ऑफिस में या फील्ड में कार्य करने के जी0पी0एस0 फोटो प्रमाण की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
2. मीरपुर दहौड़ा तहसील खैर, जिला अलीगढ़ में 3 दिसम्बर से 5 दिसम्बर 2024 उपपरियोजना के अन्तर्गत मृदा दिवस मनाया गया था जिसके टेन्ट बिल की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
3. उपपरियोजना के अन्तर्गत कुछ किसानों को पावर ट्रल दिये गये है तथा सुपर सीडर के जिन किसानों को पावर ट्रल दिये गये हैं उनकी चयन प्रक्रिया की प्रमाणित कॉपी तथा उनकी प्राप्ति सहित लिस्ट उपलब्ध कराई जावे।
4. जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर में सीड बीज वितरण प्रोग्राम का खाना + टेन्ट का बिल की दिनांक 10/10/2024 प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
5. ग्राम राजपुर ब्लॉक खैर, जनपद अलीगढ़ दिनांक 03/06/2023 के टेन्ट को बिल की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
6. दीवा हमीदपुर में सीड गेंहूँ के बीज वितरण की लिस्ट वर्ष 2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
7. मिर्जापुर नेहरी की वर्ष 2024 की धान की लिस्ट जनपद हाथरस की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।
8. उपरोक्त सूचना जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत 30 दिनों में उपलब्ध कराने की कृपा करे।
   क– उपरोक्त वांछित सूचना जनसूचना अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी श्रेणी में नहीं आती है जिसमें प्रकटीकरण की छूट प्राप्त है।
   ख– वांछित सूचना आपके कार्यालय के अन्तर्गत नही है तो सूचना की अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस आवेदन प्रार्थना पत्र 48 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय में हस्तान्तरित करने की कृपा करे। जिसमें सम्बन्धित कार्यालय में समयबद्ध प्रत्युत्तर न मिलने पर धारा 18, 19(1), 19(3) व 20 के अन्तर्गत कार्यवाही अग्रसरित कर सके।

दिंनाक – ~~9/10/2025~~ 16/12/2025

प्रार्थी हरेन्द्र सिंह

Diary No. 410
17/10/2025

हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह निवासी ग्राम खेड़ा किशन पोस्ट बाजौता तहसील खैर, थाना टप्पल, जिला अलीगढ़। 202137
मो0नं0– 9759345820

দহ টকা দশ টাকা દસ રૂપિયા ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ പത്തു രൂപ பத்து ரூபாய் दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା ਦਸ ਰੁਪਏ दश रुप्पयकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

# भारतीय पोस्टल आर्डर
# INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO Director, IARI को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें ।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह
ग्राम- खेड़ाकिशन, पो०- बाजौता
तहसील खैर थाना टप्पल
जिला - अलीगढ़ 202137

सत्यमेव जयते

ALIGARH 22.8.25 REG

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

పది రూపాయలు

71F 205686

बीजविज्ञान एवम प्रौद्योगिकी संभाग
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नईदिल्ली 110012
**Division of Seed Science and Technology**
ICAR-Indian Agricultural Research Institute, New Delhi – 110 012,
Email: head_sst@iari.res.in; Phone:011-25841428(O), Mob–8140128622

**PS/DSST/**2..
Jan 15, 2026

**Gyan P. Mishra**
**Head**

सेवा में

श्री हरेंदर सिंह पुत्र श्री तेजवीर सिंह
निवासी ग्राम खेडा किशन
पोस्ट बाजौता, तहसील खैर
थाना टप्पल
. जनपद अलीगढ़ - 202137

प्रिय श्री हरेंदर

दिनाक 16.12.2025 को आपके द्वारा मांगे गये आर.टी.आई. के संदर्भ में, कृपया इस कार्यालय के सबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर संलग्न देखें।

ज्ञान मिश्रा

(ज्ञान पी. मिश्रा)

**सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) तहत आवेदन प्रार्थना भाग के तहत सूचना माँगने के संबंध में**

1. **श्री अरून कुमार पुत्र श्री गिरधारीलाल जो कि परियोजना में ऑफिस असिस्टेन्ट के पद पर कार्यरत थे और जिनका भुगतान परियोजना में किया गया है। उनका दिनांक 01/01/2024 से 01/12/2024 तक का ऑफिस में या फील्ड में कार्य करने के जी०पी०एस० फोटो प्रमाण की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।**

   यह सूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आती है, जिसका सीधा संबंध किसी सार्वजनिक हित में नहीं है। यह सूचना धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आती है, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है।

2. **मीरपुर दहौड़ा तहसील खैर, जिला अलीगढ़ में 3 दिसम्बर से 5 दिसम्बर 2024 उपपरियोजना के अन्तर्गत मृदा दिवस मनाया गया था जिसके टेन्ट बिल की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।**

   मृदा दिवस अनुसूचित जाति उपयोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से आयोजित किया गया था तथा इस बिल का सीधा संबंध किसी सार्वजनिक हित में नहीं है। फिर भी, यदि आवेदक उपरोक्त संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहते हैं, तो नियमानुसार कार्यालय समय में पूर्व सूचना देकर अपने खर्चे पर आकर संबंधित अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

3. **उपपरियोजना के अन्तर्गत कुछ किसानों को पावर टिलर दिये गये है तथा सुपर सीडर के जिन किसानों को पावर टिलर दिये गये हैं उनकी चयन प्रक्रिया की प्रमाणित कॉपी तथा उनकी प्राप्ति सहित लिस्ट उपलब्ध कराई जावे।**

   पावर टिलर एवं सुपर सीडर के आवंटन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिशानिर्देशों का अनुमोदन किया गया था। इन कृषि यंत्रों के आवंटन के लिए समिति गठित की गयी थी, जिसके द्वारा पात्र किसानों, ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था एवं ग्राम प्रधान की संस्तुति के उपरांत कृषि यंत्रों का आवंटन किया गया था। चयनित किसानों की विस्तृत सूची में व्यक्तिगत विवरण सम्मिलित हैं तथा यह सूचना धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आती है, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। परन्तु चयनित किसानों की सूची प्रदान करने के लिए आपको फोटोकॉपी के लिए नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

4. **जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर में सीड बीज वितरण प्रोग्राम का खाना + टेन्ट का बिल की दिनांक 10/10/2024 प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।**

   उक्त कार्यक्रम अनुसूचित जाति उपयोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से आयोजित किया गया था तथा इसका सीधा संबंध किसी सार्वजनिक हित में नहीं है। फिर भी, यदि आवेदक उपरोक्त संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहते हैं, तो नियमानुसार कार्यालय समय में पूर्व सूचना देकर अपने खर्चे पर आकर संबंधित अनुभाग से संपर्क कर सकते हैं।

5. ग्राम राजपुर ब्लॉक खैर, जनपद अलीगढ़, दिनांक 03 06 2023 के टेन्ट के बिल की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

उक्त कार्यक्रम अनुसूचित जाति उपयोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से आयोजित किया गया था तथा इसका सीधा संबंध किसी सार्वजनिक हित से नहीं है, फिर भी, यदि आवेदक उपरोक्त संबंधी अभिलेखों का निरीक्षण करना चाहते हैं, तो नियमानुसार कार्यालय समय में पूर्व सूचना देकर अपने खर्चे पर आकर संबंधित अनुभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।

6. दोवा हमीदपुर में गेहूँ के बीज वितरण की लिस्ट वर्ष 2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन से संबंधित सामान्य जानकारी सार्वजनिक अभिलेखों में उपलब्ध है। बीज वितरण उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा एस. सी. एस. पी. कमेटी द्वारा अनुमोदन के आधार किया जाता है। लाभार्थियों की सूची में व्यक्तिगत विवरण सम्मिलित होने के कारण यह सूचना धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आती है, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। परन्तु लाभार्थी किसानों की सूची प्रदान करने के लिए आपको फोटोकॉपी के लिए नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. मिर्जापुर नेहरी की वर्ष 2024 की धान की लिस्ट जनपद हाथरस की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन से संबंधित सामान्य जानकारी सार्वजनिक अभिलेखों में उपलब्ध है। बीज वितरण उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा एस. सी. एस. पी. कमेटी द्वारा अनुमोदन के आधार किया जाता है। लाभार्थियों की सूची में व्यक्तिगत विवरण सम्मिलित होने के कारण यह सूचना धारा 8(1)(j) के अंतर्गत आती है, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। परन्तु लाभार्थी किसानों की सूची प्रदान करने के लिए आपको फोटोकॉपी के लिए नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

(संदीप कुमार लाल)
नोडल अधिकारी, एस. सी. एस. पी.